सागयाम
बनाम
कर्नाटक राज्य
अप्रैल 26, 2000
(एस. सगीर अहमद और एस. राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्तिगण)

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987:

धारा-3 और 5- आतंकवादी कृत्य- लोगों के मन में डर फैलाने और पैसे की उगाही करने, अपने घर में घातक हथियार जमा करने का आरोप- संस्वीकृत- नामित न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा की वैधता- एक 'आतंकवादी कृत्य' होने के लिए इसे प्रमुख इरादे से किया जाना चाहिए (i) सरकार को भयभीत करने के लिए; या (ii) लोगों में आतंक पैदा करना, या (iii) लोगों के किसी भी वर्ग को अलग- थलग करना; या (iv) लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए- अभियुक्त पर तथाकथित कृत्यों या उसकी संस्वीकृति से किसी भी 'आतंकवादी कृत्य' का गठन नहीं होता है - दोषसिद्धि अपास्त।

दंड संहिता, 1860- धारा- 307.

हत्या का प्रयास - अभिर्निधारित, इसे करने के आशय व इसे करने की तैयारी से अलग किया जाना चाहिए।

हत्या का प्रयास – अभियुक्त द्वारा तलाशी ले रहे पुलिस अधिकारी पर हमला करने का प्रयास करना, पुलिस अधिकारी का बिना किसी चोट के हमले से बच निकलना - अभिनिर्धारित- हत्या का प्रयास नहीं होगा।

शब्द और वाक्यांश:

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3(1) के संदर्भ में-"आतंकवादी कृत्य'' का अर्थ और दायरा।

अपीलकर्ता पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां ;(रोकथाम), अधिनियम, 1987 की धारा 3 और 5 के तहत और दंड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने लोगों के मन में डर फैलाने और पैसे और कीमती सामान हड़पने

के लिए अपने घर में घातक हथियार जमा कर रखे थे। जब पीडब्लू 2; उप निरीक्षक तलाशी के लिए उसके घर गया, तो अपीलकर्ता ने उस पर हमला करने का असफल प्रयास किया। नामित न्यायालय ने पुलिस के साक्ष्य पर भरोसा कर एवं अपीलार्थी की संस्वीकृति प्रदर्श पी० –7 के आधार पर दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील की गयी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह अभिर्निधार्रित किया-

1.1. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 या दंड संहिता के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी धारा का कोई अव्यव अपीलकर्ता के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए, नामित न्यायालय द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। [571- डी]

1.2. टाडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत किसी कृत्य को 'आतंकवादी कृत्य' होने के लिए इसे प्रमुख इरादे से किया जाना चाहिए-

(i) कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करना ; या

(ii) लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना; या

(iii) लोगों के किसी भी वर्ग को अलग- थलग करना; या

(iv) लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। [568- ई- एफ]

वर्तमान मामले में, यदि गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का विश्लेषण किया जाये तो यह स्पष्ट है कि यह केवल कुछ हथियारों और सामग्रियों की बरामदगी के लिए है , जिनका उपयोग घातक हथियारों के रूप में किया जा सकता है, और जबरन वसूली या डकैती के अस्पष्ट आरोप हैं। यद्यपि अपीलार्थी के इस बयान से कि वह चाकू दिखाकर लोगों से पैसे वसूलता था ताकि लोगों को धमकाया जा सके और अन्य अवैध गतिविधियों के कई मामलों में शामिल होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसने अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अपराध कारित किया है। केवल कुछ हथियारों जैसे साईकिल चैन व चॉपर का भण्डारण करने से यह निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है कि अभियुक्त ने ये अपराध कारित किया है। [569- एफ- जी]

न्यायालय ने **निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम. जीतेन्द्र भीमराज बिजया, [1990] 4 SCC 76 व हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1994] 4 SCC 602,** पर विश्वास व्यक्त किया।

2. अपीलकर्ता द्वारा की गयी संस्वीकृति अधिनियम की धारा 3(1) के तहत किसी भी 'आतंकवादी कृत्य' के गठन का खुलासा नहीं करता है। इस प्रकार, नामित न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की संस्वीकृति के आधार पर दोषी ठहराया जाना उचित नहीं था। [568- एच]

3.1. आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। इसमें हत्या के प्रयास के लिये अन्तिम कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। कानून में उसके निष्पादन के लिये किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ आशय का होना ही पर्याप्त है। ऐसा कृत्य इच्छित अपराध के अति समीप होना चाहिए, यदि बाहरी हस्तक्षेप द्वारा इसे विफल न किया गया होता तो वह पूरा हो गया हो जाता। किसी अपराध में विभिन्न चरण होते हैं- पहला, आशय; दूसरा, तैयारी; तीसरा, इसे पूर्ण करने का प्रयास। यदि तृतीय चरण में प्रयास विफल हो जाता है तो अपराध पूरा नहीं होता है लेकिन कानून उसी प्रयास के लिए दंडित करता है। अपराध करने के प्रयास को अपराध करने के आशय या तैयारी से अलग किया जाना चाहिए। [570- एफ- जी]

3.2. प्रस्तुत मामले में, पीडब्लू 2 की साक्ष्य से केवल यह स्थापित होता है कि आरोपी द्वारा उस पर हमला करने की धमकी दी गई थी, लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा किया गया कार्य हत्या के प्रयास की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है , बल्कि अधिकतम यह हमले का एक प्रयास हो सकता है, यहॉ तक कि पीड़ित को किसी प्रकार की चोट भी नहीं है। ऐसी दशा में यह संभव है कि आरोपी ने पीडब्लू 2 का सामना किया हो, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसके द्वारा हत्या का प्रयास किया गया हो। [571- बी- सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 289 सन 2000

(निर्णय और आदेश दिनांक 3.6.97 से प्रिन्सिपल सत्र न्यायालय कोलार, कर्नाटक टी.डी. संख्या 2 सन 1994)

अपीलकर्ता की ओर से- पी.एस. नरसिम्हा, पी. श्रीधर, के.एन. झा व भारती बी.वी.जी. प्रगासम।

प्रतिवादी की ओर से- संजय आर. हेगड़े और सत्य मित्रा।

निर्णय-राजेन्द्र बाबू, न्यायमूर्ति- हमारे सामने अपीलकर्ता पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम, 1987 की धारा-3 और 5 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा-307 सपठित धारा-34 के अपराध का आरोप है। अपीलकर्ता एवं अभियुक्त संख्या–2 (जो फरार था जिसका मामला अलग कर दिया गया था) के विरूद्ध मामला उपद्रवी तत्वों के होने का है और उनके विरूद्ध संबंधित पुलिस थानों में मामले दर्ज किये गये हैं। आरोप यह है कि उनके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं जिनका विवरण सामने नहीं आया है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गये, तदोपरान्त उसे सत्र न्यायालय, कोलार को सुपुर्द किया गया, जिसे बाद में टाडा से सम्बन्धित नामित न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया।

अपीलकर्ता ने उपरोक्त आरोपों में दोषी नहीं होने का अभिवाक किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 9 साक्षीगण को परीक्षित किया गया तथा अपीलकर्ता का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किया गया। अपीलकर्ता द्वारा अपने बचाव में यह कथन किया गया है कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। गवाह, जो पुलिसकर्मी हैं, हितबद्ध साक्षीगण हैं। पुलिस के गवाहों के अलावा अन्य गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। साक्षीगण पीडब्लू 2 ता 5 व 7 व 8 ने अपीलकर्ता के परिसर पर छापा मारा और विभिन्न चरणों में अन्वेषण किया । नामित न्यायालय ने 8 पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य और अभियुक्त की संस्वीकृति प्रदर्श पी०-7 पर विश्वास किया और अपीलार्थी को टाडा अधिनयम की धारा 3 व 5 और आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और उसे टाडा अधिनयम के तहत 5 साल और धारा 307 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। जिसके विरूद्ध यह अपील योजित की गयी है।

किसी भी कृत्य का ''आतंकवादी कृत्य'' होने के लिये टाडा अधिनयम की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिये गये अर्थ को ध्यान में रखना होगा और "आतंकवादी" का उसी अनुक्रम में अर्थ लगाना होगा। इस न्यायालय के समक्ष टाडा अधिनयम की धारा-3 कई बार विचारार्थ आयी है, जिनमें दिए गए निर्णयों में कहा गया है कि- यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रावधान में उल्लिखित किसी भी अव्यव का उपयोग करके उसमें निर्दिष्ट किसी भी

तरीके से कोई कार्य करता है, तो उसे तब तक ऐसा करने वाला नहीं कहा जा सकता है जबतक कि आतंकवादी कृत्य को निम्नलिखित आशय से न किया गया हो:-

(i) कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करना ; या

(ii) लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना; या

(iii) लोगों के किसी भी वर्ग को अलग- थलग करना; या

(iv) लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालना।

नामित न्यायालय ने जिस साक्ष्य पर भरोसा किया वह यह है कि अपीलकर्ता ने लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए अपने घर में घातक हथियार जमा किए, इसके अलावा लोगों में या लोगों के एक वर्ग में आतंक व्याप्त करने के लिये उसके द्वारा कई व्यवसायियों, ऑटोरिक्शा चालकों और अन्य लोगों से जबरन धन और अन्य कीमती सामान की वसूली की गयी। इस निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिये विचारण न्यायालय ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति प्रदर्श पी० -7 पर विश्वास किया।

अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाया गया आरोप टाडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत किसी भी कृत्य को स्थापित नहीं करता है, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है जब तक कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य उपरोक्त वर्णित चार कारणों के पूरा करने के इरादे से न किये गये हों। ऐसी आवश्यकता तभी पूरी होगी जब कर्ता का प्रमुख आशय उपरोक्त वर्णित प्रभाव पैदा करना हो।

निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जीतेन्द्र भीमराज बिजया में, [1990]4 एससीसी 76;-

आरोपी पर अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करने के लिए दो व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप था। जिसके सम्बन्ध में एक मात्र बयान यह था कि इस तरह की हिंसा का प्रदर्शन लोगों के मन में आतंक या भय पैदा करेगा और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। मात्र यह बयान अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपराध नहीं बन सकता। ऐसी हिंसा के परिणाम से दहशत और भय पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन अपराध करने का इरादा लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना नहीं कहा जा सकता है।

हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1994] 4 एससीसी 602 में इस न्यायालय ने अपेक्षित आशय से किए गए कार्य और किसी अन्य कार्य के बीच अंतर को

स्पष्ट करते हुए कहा है कि आतंकवादी गतिविधि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ की गई गैरकानूनी गतिविधि या अपराध तक ही सीमित नहीं है , बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और अशांति फैलाने वाले लोगों या लोगों के एक वर्ग के मन में आतंक पैदा करना है। शांति, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक प्रशासन को भयभीत या अस्थिर करना और देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालना। इस प्रकार, विधिक स्थिति यह है कि क्या यह कार्य स्थापित कानून द्वारा सरकार को डराने और लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने के लिए किया गया था। यदि हम गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का विश्लेषण करते हैं जो इसमें पुलिस अधिकारी हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग् केवल कुछ हथियारों या सामग्रियों की बरामदगी के प्रभाव तक है तथा उक्त का उपयोग घातक हथियारों और जबरन वसूली या डकैती के अस्पष्ट आरोपों के रूप में किया जा सकता है। यद्यिप यह बयान दिया गया है कि अपीलकर्ता चाकू दिखाकर लोगों से पैसे वसूलता है ताकि लोगों को धमकाया जा सके और वह अन्य अवैध गतिविधियों के कई मामलों में शामिल है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि उसने टाडा अधिनियम धारा-3 के तहत होने वाला अपराध किया है। उसके द्वारा साइकिल चेन, चॉपर जैसे ऐसे कुछ हथियारों के भंडारण करने से भी यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि आरोपी ने टाडा अधिनयम की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध किया।

अभियोजन पक्ष के मामले का मुख्य आधार आरोपी की संस्वीकृति प्रदर्श पी-7 है। पी.डब्ल्यू- 7 श्री एम.वी. मूर्ति, पुलिस अधीक्षक ने अपने बयान में कहा कि उसके द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने और कानून के अनुसार उचित चेतावनी देने के बाद कि अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान उसके विरूद्ध पढ़े जा सकते हैं , अभियुक्त के बयान (संस्वीकृति) लेखबद्ध किये गये।

अभियुक्त के बयान प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज किये गये तथा उस पर हस्ताक्षर कराने से पूर्व अभियुक्त को पुनः चेतावनी दी गई थी कि उसके द्वारा दिये गये बयान उसके विरूद्ध पढ़े जा सकते हैं, फिर भी उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। अभियुक्त की संस्वीकृति पर प्रदर्श पी०-7 डाला गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आरोपी खदानों में जाता था और सोने और लोहे की वस्तुओं की चोरी करता था और वह अपने दोस्तों के समूह की मदद से लोगों को आतंकित करता था और राहगीरों से जबरन पैसे, सोने के गहने आदि इकट्ठा करता था। उसने अपने दोस्तों जानसन, राजा हैरी, असीर और उनके भाई थंगम के साथ कई व्यवसायियों को जान से मारने की धमकी भी दी। उसने यह भी

स्वीकार किया कि वह अपने घर में घातक हथियार जैसे 'कट्टी' (चाकू या तलवार), साइकिल चेन रखता था, प्राप्त हुए पैसों से वह वर्कशॉप मालिकों को धमकी देता था और हथियार प्राप्त करता था और साइकिल चैन आदि इकट्ठा करता था। जब भी उसके खिलाफ कोई शिकायत की जाती थी, तो वह शिकायतकर्ता की संपत्ति को नष्ट कर देता था और गवाहों को नुकसान पहुंचाता था, जो उसके खिलाफ गवाही देते थे। आरोपी व उसके साथियों के विरूद्ध एंडरसनपेट, रॉबर्टसनपेट, मारीकुप्पम और चैंपियनरीफ्स पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं। अपीलकर्ता के इस पूरे बयान को समग्र रूप से लेने पर भी अपीलकर्ता का उपरोक्त कृत्य किसी भी रूप में आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में नहीं आता है और उस परीक्षण का जबाव देता है, जिसे हमारे द्वारा पूर्व में बताया गया है और टाडा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप धरातल पर नहीं ठहरते हैं और इसलिये नामित न्यायालय द्वारा टाडा अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत अभियुक्त की तथाकथित संस्वीकृति पर लिया गया निष्कर्ष उचित नहीं है।

भा०दं०सं० की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। इसमें हत्या के प्रयास के लिये अन्तिम कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। कानून में उसके निष्पादन के लिये किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ आशय का होना ही पर्याप्त है। ऐसा कृत्य इच्छित अपराध के अति समीप होना चाहिए, यदि बाहरी हस्तक्षेप द्वारा इसे विफल न किया गया होता तो वह पूरा हो गया हो जाता। किसी अपराध में विभिन्न चरण होते हैं- पहला आशय; दूसरा तैयारी; तीसरा, इसे पूर्ण करने का प्रयास। यदि तृतीय चरण में प्रयास विफल हो जाता है तो अपराध पूरा नहीं होता है लेकिन कानून उसी प्रयास के लिए दंडित करता है। अपराध करने के प्रयास को अपराध करने के आशय या तैयारी से अलग किया जाना चाहिए।

ए.एस.आई राजन्ना पीडब्लू 2 व उसके स्टाफ के दो अन्य सदस्य अपीलकर्ता के घर की तलाशी के लिए नियुक्त किये गये थे। जब वह अपने अन्य साथियों के साथ अपीलार्थी के घर पहुँचा तो अभियुक्त ने उन पर हमला करने की कोशिश की, वह किसी तरह से बच गया। बताया जाता है कि आरोपी ने फिर से तलवार से काटने की कोशिश की लेकिन वह उस हमले से बच भी गया और उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर उसने (आरोपी ने) धमकी दी कि वह जान से मार देगा। यह सभी सबूत जो ए.एसआई द्वारा दिए गए हैं, जिसका अर्थ केवल यह निकलेगा कि अभियुक्त द्वारा उक्त राजन्ना पर केवल हमला करने

की धमकी दी थी। आरोपी द्वारा किये गये प्रत्यक्ष कृत्य को हत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता, अधिक से अधिक यह हमले का प्रयास हो सकता है, लेकिन उस हमले में भी पीड़ित को कोई चोट नहीं आयी। तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा हत्या करने का कोई प्रयास किया गया था। यह संभव है कि आरोपी ने ए.एस.आई राजन्ना का सामना किया हो, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यह उसकी हत्या का प्रयास था।

इस प्रकार टाडा अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी अपराध के अव्यव को स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि अभियोजन का मामला धरातल पर टिकता नहीं है और करीबी मामले की तो बात ही दूर, विश्लेषण में भी नहीं टिक पाता है। इसलिए, हम अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि को रद्द करते हैं और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से उसे बरी करते हैं। यदि वह जेल में सजा काट रहा है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

एस.वी.के.आई. अपील स्वीकृत।

Vetted by- Suresh Kumar Sharma, Additional District and Sessions Judge Court No. 2, Bulandshahr.